

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये, राजस्थान जयपुर

कमांक: प्रशि./जीएनएम/पी-106/2014/833


परिपत्र

दिनांक : 9/5/14

प्रायः देखने मे आया है कि कतिपय निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उनके यहां संचालित जीएनएम कोर्स में सत्र 2013-14 से पूर्व प्रवेशित अभ्यर्थियों से अधिक फीस वसूले जाने बाबत अभ्यर्थियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है जो उपयुक्त नहीं है।

सदस्य सचिव, शुल्क रेग्युलेटरी कमेटी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) राज. जयपुर द्वारा जारी आदेश कमांक : प.1 (1)/एम.ई.ग्रुप-1/2003 दिनांक 17.10.2013 का अग्रेषण निदेशालय के कमांक : प्रशि./जनप्र/जी-172/2013/611 दिनांक 28.10.2013 द्वारा राज्य के समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स एवं फ़ैडरेशनस् को किया जा चुका है। जिसके अनुसार इस बढी हुई फीस के आदेश सत्र 2013-14 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों पर ही लागू होते है।

अतः शुल्क रेग्युलेटरी कमेटी द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए सत्र 2013-14 से प्रवेशित छात्रों से ही बढी हुई फीस (जीएनएम प्रशिक्षण हेतु) वसूली जावे।

  
(डॉ.के.सी.मीणा) 8/5/2014

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

दिनांक :

कमांक: प्रशि./जीएनएम/पी-106/2014/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. सचिव, प्राईवेट फिजियोथैरेपी, नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी ऑफ 17, मोतीलाल अटल रोड, जयपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान प्राईवेट निजि नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, लालकोठी योजना, नई विधानसभा के पीछे, जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य, निजी नर्सिंग स्कूल्स .....  
राजस्थान।
8. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावे।

(डॉ.के.सी.मीणा)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये,  
राज. जयपुर